UPVR010054002026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस **0** सी**0**/एस **0** टी**0** एक्ट, वाराणसी।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-**1778/2026,**

1. गोलू यादव उर्फ विकास यादव पुत्र बच्चन यादव उर्फ बच्चन सिंह
2. सोनू यादव पुत्र परदेशी यादव
3. सुजीत उर्फ सोनू चौहान पुत्र बाल्मिकी चौहान

निवासीगण मौजा नरायनपुर थाना-चौबेपुर, जिला वाराणसी।

..... **आवेदक/अभियुक्तगण।**

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... **अभियोजक।**

मु०अ०सं०-407/2020
धारा-323,504,506,452,354 ख IPC
व 3(1)(ध) S.C/S.T Act
थाना-सारनाथ, जिला वाराणसी।

दिनांक-12.06.2026

आवेदक/अभियुक्तगण गोलू यादव उर्फ विकास यादव**,** सोनू यादव व सुजीत उर्फ सोनू की ओर से उपरोक्त मामले में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण पूर्वादेशानुसार आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्तगण को नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आज दिनाक 23/8/2020 को शाम के समय करीब 8 बजे मेरी पढ़ी सरीता देवी व देवी (मेरे बड़े भाई की पत्नी) और मेरी दो लड़किया नेहा, सनेहा शौच करने के लिए बाहर गयी थी परदुम यादव पुत्र विजयी यादव, गोलू यादव पुत्र बच्चन यादव, सोनू यादव पुत्र परदेसी यादव, सोनू चौहान पुत्र बालगिकी चौहान निवासीगण नरायनपुर थाना चौबेपुर वाराणसी और गोविन्द चौहान पुत्र बगा चौहान निवासी कादीपुर थाना चौबेपुर वाराणसी ने मिल कर मेरे घर के दोना औरतों व दोनो लड़किया के साथ छेड़खानी करने लगे चारो लोग जब सौर मचाये चिलाये तब बड़े भाई के लड़का व साडू का लड़का आज आया और दोनो मिलकर दौडकर गये उसी समय हाकी व लाठी से मारने लगे और धार दार औजार से वार किये प्रतात राम पुत्र मुन्ना राम, अजय राम पुत्र लौटू राम ग्राम खोनपुर थाना चौबे वाराणसी के निवासी है जो मेरे भाई और साडू के लड़के है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत का यह आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित कोई अपराध नहीं किये है बिल्कुल निर्दोष है। यदि सूचनाकर्ता के तहरीरी की पूरी बात मान भी लिया जाय तो उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोई कथन नहीं किया गया है। यदि पीड़िता नेहा व स्नेहा के बयान अंतर्गत धारा 164 सी.आर.पी..सी. पूरी तरह से मान लिया जाये तो आवेदक/अभियुक्तगण पूरी तरह से आरोपहीन हैं। धारा 164 सी.आर.पी.सी. का अवलोकन किया जाये तो उपरोक्त उल्लिखित कोई घटना ही नहीं हुई

Digitally signed by SUDHAKAR RAI
Date: 2026.06.19 07:53:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। मुकदमा उपरोक्त झूठी कहानी तैयार करके बनायी गयी थी उक्त कथन साबित तब हुई जब धारा 164 सी.आर.पी.सी. का पीड़िता द्वारा बयान किया गया। पूर्व में सूचनाकर्ता, पीड़िता व साक्षियों ने तहरीर का समर्थन किये फिर जब धारा 164 का बयान का हुआ तो सारी कहानी ताश के पत्ते की तरफ ढह गयी। सूचनाकर्ता द्वारा घटना का कारण अभियुक्तगण पीड़ितागण से छेड़खानी कर रहे थे और शोरगुल सुनकर लोग बचाने गये उसी में पूरी उपरोक्त घटना घटी जब कि धारा 164 सी.आर.पी.सी. पीड़ीतागण के सामने कोई घटना घटी ही नहीं थी और न ही पीड़िता द्वारा अभियुक्तगण को देखा गया था तथा उसमें पीड़िता द्वारा कहा गया है कि हम लोग पूर्व का झूठा बयान अपने भाई के कहने पर दिया था। यदि घटना का कारण दौरान विवेचना झूठा हो या साबित न हो और तहरीर झूठी साबित हो जाये तो पूरी मुकदमा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुकदमा उपरोक्त में उल्लिखित कोई घटना नहीं घटी है। आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है और जमानत के हकदार हैं। आवेदक/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उपरान्त जमानत अभियुक्तगण को फरार होने की संभावना नहीं है। अभियुक्तगण यह अभिवचन करते हैं कि मुकदमे के विचारण में पूरा सहयोग करेंगे। अतः आवेदक/अभियुक्तगण को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित होता है कि एफ.आई.आर में घर की औरतों के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है, परंतु 164 के बयान में दोनों पीड़िता स्नेहा व नेहा ने यह स्वीकार किया है कि उनके साथ किसी ने कोई छेड़खानी नहीं किया था और उसके भाई विजय प्रताप ने बताया था कि छेड़खानी का आरोप लगाना है, इसलिए दरोगा जी के सामने छेड़खानी का आरोप लगाया गया है तथा पीड़िता द्वारा यह भी बयान किया गया था कि झगड़ा अजय प्रताप के साथ हुआ था। उन लोगों के साथ नहीं हुआ था। प्रस्तुत मामले में सामान्य प्रकृति की हैं। अतःमामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण गोलू यादव उर्फ विकास यादव**,** सोनू यादव व सुजीत उर्फ सोनू द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा रूपये 25,000/-(पच्चीस हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे तथा मामले के साक्षियों को आतंकित व प्रभावित नहीं करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा जो जमानत प्रतिभू अंतरिम स्तर पर दाखिल की गयी थी, वे यथावत् बनी रहेंगी। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा पुनः मु0 25,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाये।

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश,
एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट,
वाराणसी।
जे.ओ.कोड नं.- यू0 पी0 6256